



टी बोर्ड
14, बिपल्वी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700 001

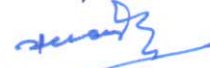
दिनांक: 03.03.2023

कार्यालय आदेश सं. 8/2023

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड उपनियम 1955 की उपविधि 45 और 46 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने श्री एस अरुण कुमार, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, पीरमेड से सम्बद्ध के पक्ष में निम्नलिखित वित्तीय शक्ति को प्रत्यायोजित किया है, इस शर्त के अधीन है कि वह उस कार्यालय के अग्रदाय खाते को बनाए रखेंगे एवं चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम 1954, टी बोर्ड उपनियम 1955 के प्रावधानों एवं कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णय का भी पालन करेंगे।

1	किसी एक मद पर रु. 5000/- तक की स्वीकृत व्यय (विकास कार्य को छोड़कर)
2	प्रत्येक मामले में रु. 6000/- तक की राशि के लिए चेक पर हस्ताक्षर करेंगे (विकास कार्य के अलावा)
3	रु. 4000/- तक अग्रदाय राशि धारण करें (विकास कार्य को छोड़कर)
4	बोर्ड के कार्यालय, पीरमाडेस, के संबंध में किराए, नगरपालिका/जल कर शुल्क, बिजली/टेलीफोन बिल के भुगतान के लिए सटीक राशि की सीमा तक और जब आवश्यक हो चेक पर हस्ताक्षर करेंगे।

उपरोक्त व्यवस्था पूरी तरह से तदर्थ है एवं श्री एस. अरुण कुमार, फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, पियरमेड से सम्बद्ध, उक्त वित्तीय शक्तियों को धारण करना बंद कर देंगे जब बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चि से स्थानांतरण पर श्री एम. रमेश, स.नि.चा.वि बोर्ड के कार्यालय, पियरमेड में कार्यभार ग्रहण करते हैं।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:

1	श्री एस.अरुणकुमार, वि.स.अ. टी बोर्ड, पियरमेड	
2	कार्यपालक निदेशक, कूनूर	
3	वि.स.एवं मु.ले.अ.	
4	नि.चा.वि.	
5	लेखा अधिकारी	
6	उपाध्यक्ष, सचिव एवं वि.स.व मु.ले.अ. के नि.सह	
7	आई.टी.कक्ष	बोर्ड के वेबलाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	फाईल सं 7(1)/स्था/2019/पार्ट-III	
9	टीबीइए	
10	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

संदर्भ सं 2(1)/स्था/2015/पार्ट